



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 416

दिनांक: 06/4/2021

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु0 के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं :

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/567	श्रीमती अल्का खुराना धर्मपत्नी श्री ए.के. खुराना	मुख्य अभियंता (द्वारका)
2/574	श्रीमती भावना अरोड़ा धर्मपत्नी श्री मनोज अरोड़ा	निदेशक भूमि प्रबंधन (मुख्यालय)
3/576	श्रीमती दर्शन धर्मपत्नी श्री मेहर चंद जोधानी	मुख्य अभियंता (दक्षिणी क्षेत्र)

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु0 के वेतन मान में 4800/-रु0 के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. ने उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :-

क्रम सं. / वरि.सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/567	श्रीमती अल्का खुराना धर्मपत्नी श्री ए.के. खुराना	पदोन्नति पर	मुख्य अभियंता (द्वारका) [द्वारका क्षेत्र में निजी सचिव की समग्र स्वीकृत शक्ति पर क्यों की वह 31.05.2021 को सेवानिवृत्त होने जा रही है]
2/574	श्रीमती भावना अरोड़ा धर्मपत्नी श्री मनोज अरोड़ा	पदोन्नति पर	निदेशक (योजना) एरिया प्लान-III [संस्था.आदेश संख्या 333 दिनांक 12.03.21 में आंशिक संशोधन करते हुए]
3/576	श्रीमती दर्शन धर्मपत्नी श्री मेहर चंद जोधानी	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता (योजना)-I / दक्षिणी क्षेत्र

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय)

दिनांक:- 06/04/2021

सं-एफ.10(09)2021/सी.सी./ 335


प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।



-2-

3. मुख्य अभियंता (द्वारका) / दक्षिणी क्षेत्र, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अधीक्षण अभियंता (योजना)-I दक्षिणी क्षेत्र, दि.वि.प्रा. ।
6. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / भूमि प्रबंधन (मुख्यालय) / योजना (एरिया प्लान)-III / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली, दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.) / भूमि प्रबंधन (समन्वय) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
8. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2021)
9. लेखाधिकारी (संस्था) अराजपत्रित / योजना / सम्बंधित (सी.ए.यू), दि.वि.प्रा. ।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।


(राजेंद्र सिंह नेगी)
सहायक निदेशक (गोपनीय)